



4. अब यह निर्णय लिया गया है कि इन हिदायतों में सामंजस्य बनाने हेतु पूर्व में जारी हिदायतें क्रमांक 22/28/2003-3जी0एस0111, दिनांक 30.01.2004, समसंख्यक दिनांक 17.06.2004 तथा हिदायतें क्रमांक 22/132/2013-1जी0एस0111, दिनांक 21.03.2014 के संदर्भ में हरियाणा राज्य के जो कर्मचारी/अधिकारी चण्डीगढ़/पंचकूला में स्थित कार्यालयों में कार्यरत हैं तथा चण्डीगढ़/पंचकूला तथा मोहाली में निवास करते हैं, वे सभी सेवानिवृत्त होने उपरान्त अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी/जाति प्रमाण पत्र अपने पैतृक विभाग जहां से वे सेवानिवृत्त हुये हैं, बनवा सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने अन्य राज्यों से सेवानिवृत्ति उपरान्त अपना व अपने आश्रितों का रिहायशी प्रमाण पत्र न बनवाया हो तथा अन्य राज्यों से रिहायशी प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कोई भी लाभ न लिया हो।

उपरोक्त हिदायतों की दृढता से पालना की जाये।

Ucc-8028  
77/11/16

*G. S. S.*  
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
कृते, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृ० क्रमांक 22/70/2016-1जीएस 111

दिनांक : 11.8.2016

इसकी एक-एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग, चण्डीगढ़।
2. सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला।
3. प्रधानाचार्य, हरियाणा लोक प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर-16, पंचकूला।

*G. S. S.*  
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,  
कृते, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

आन्तरिक वितरण

उपरोक्त निर्देशों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर डालने के लिये एनआईसी प्रभारी उत्तरदायी होगा।

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK  
ACADEMIC BRANCH

Endst.No. AC-V/2016/F-12/ 25336

Dated: 4-11-16

Copy of the above letter is forwarded to the Director, Computer Centre, M.D.University, Rohtak with the request to upload the letter on University Website for information.

*G. S. S.*  
Superintendent (Academic) 4/11/16

*G. S. S.*  
8/11

co